## प्ररूप 4-घ [नियम 24 देखें]

[अशक्तता या नि:शक्तता पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं भारत सरकार
भारत सरकार मंत्रालय
विभाग/कार्यालय
तारीख
सेवा ,
वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार
(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)
विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी(पीआरएएन) के
अशक्त या नि:शक्त होने पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए लिए दावे का प्रक्रमण।
महोदय,
* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी(नाम
और पदनाम), पीआरएएनको सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारीवा के कारण नहीं) या नि:शक्तता(सरकारी सेवा के कारण) होने पर तारीखद्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय सिविल
सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, अभिदाता केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन फायदों का पात्र है। सरकारी कर्मचारी
द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल
सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। केंद्रीय
सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किए जाएँगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस अभिदाता
को एकमुश्त में संदेय होगा। —
या
* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी और पदनाम), पीआरएएनको सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय पर तारीख द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय
सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार और नियम 16 तथा
17 के अनुसरण में, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकासी और
प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में
यथास्वीकार्य फायदों के पात्र है। श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा यथाप्रस्तुत
संलग्न हैं:
1.
2.
3.
4.
2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी के मामले पर उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास
श्राप्र्यामता/कुमारा
भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

\* लागू नहीं होने पर काट दें।

FORM 4-D

[See rule 24]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a Subscriber under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement]

No
Government of India
Ministry / Department / Office of
Dated the
То
The Pay and Accounts Officer/Accountant-General (Through - the Drawing and Disbursing Officer).
Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement of Shri /Smt. /Km (PRAN)
Sir,
* I am directed to say that Shri/Smt./Km
OR
* I am directed to say that Shri/Smt./Km
1.
2.
3.
4.
2. It is requested that the case of Shri/Smt./Kmfor release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.
Yours faithfully,

Head of Office

<sup>\*</sup> Strike out if not applicable.